नाम पीठासीन अधिकारी:– सुभाषचन्द्र (आर.टी.एस.) निर्णय दिनांक – 21.10.2022

सरकार बनाम रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी पौंख तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :– 10/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :– 21.10.2022

–: आदेश :–

पटवारी पटवार हल्का गुढागौडजी एंव भू.अ. निरीक्षक गुढागौडजी द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख.न. 2050 रकबा 2.02 है. किस्म बजंड डोल में से 0.80 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिकमी रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी पौंख द्वारा मौके पर फसल काश्त कर अवैध अतिकमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण/ अतिकमी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को स्वयं उपस्थिति होकर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो निम्नप्रकार से है:– यह है कि प्रार्थी को ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख0न0 2050 रकबा 0.80है0 किस्म बंजड पर चौला/बाजरे की फसल कर अतिचार करने का नोटिस मिला है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा पूर्वजों के समय से लेकर आज तक चला आ रहा है। प्रार्थी व उसके पूर्वजों ने काफी वर्षों से उक्त भूमि पर काश्त करत आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण संख्या 10/2022 को पुराना कब्जा मानते हुए व काश्त के आधार पर उक्त भूमि के नाम नियमन की सिफारिश करने की कृपा करें।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख.न. 2050 रकबा 2.02 है. किस्म बजंड डोल में से 0.80 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिकमी रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी पौंख द्वारा किया गया अतिकमण अवैध अतिकमण होने के कारण प्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक गुढागौडजी को इस अवैध अतिकमित भूमि पर से अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 4 का 50 गुणा 200/– रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार गुढागौडजी
तहसीलदार गुढागौड़जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 16:07:28 IST
Reason: SelfAttested